Presented by Sh. Kuldeep Sharma Adv
office Report
2/2/07

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी, जिला - जयपुर

वाद सं. : /2007

बालूराम उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बस्सी हाल निवासी मोहनपुरा जिला जयपुर ।

वा

ब ना म

रामराय पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति हरियाणा ब्राह्म ग्राम बस्सी ढाणी चौड़ी कोठी, तहसील बस्सी, जिला

प्र

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
=======================

श्रीमानजी,

वाद वादी की ओर से निम्नांकित प्रस्तुत हैं :-

1। यह कि ग्राम बस्सी तहसील बस्सी स्थित भूमि खसरा नम्ब 2 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 327 रकबा 9 बीघा 19 बि नम्बर 335 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल बीघा 18 बिस्वा के वादी के पिता स्व0 रामनारायण पु उर्फ लच्छु 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है का प्रतिवादी रिकार्डेड खातेदार है और इस भूमि पर अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं ।

कालूराम बनाम रामराय
वाद संख्या। 28/2007

14/11/17 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी श्री कुलदीप शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री सनातन पारीक उपस्थित। यह प्रकरण दिनांक 27/1/2011 से आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. मे चल रहा है। दिनांक 15/7/2011 को वकील प्रतिवादी ने एकल प्रतिवादी रामराय की म्रत्यु होने की सूचना दी। गई। वकील वादी को कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी जाकर पत्रावली वास्ते कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने एंव बहस प्रार्थना पत्र O 9 R 7 सी.पी.सी. मे नियत की गई। वकील वादी ने दिनांक 15/7/2011 से आज दिनांक तक 6 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर भी कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। एकल प्रतिवादी होने के कारण वाद अबेट हो चुका है।

हमने पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी/वकील वादी द्वारा एकल प्रतिवादी की म्रत्यु हुऐ 6 वर्ष से अधिक समय हो जाने एंव कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने के कारण वाद अबेट हो जाने से वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वाद अबेट हो जाने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

3